अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

168/2022/225
कैलाश v/s गोपाल

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2022/168 श्री मंगलाराम चौधरी श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत 1 से 8	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
1.8.22	कैलाश बनाम गोपाल वगैरह पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट श्री मंगलाराम चौधरी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 की ओर से श्री पुष्पेन्द्रसिंह रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते सहमति से प्रकरण को निस्तारण करने बाबत् पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र वास्ते सहमति से प्रकरण को निस्तारण करने बाबत् पर सुना जावें। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट को खेतो में आने–जाने के रास्ते सम्बन्धि विवाद था जिसमें रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अन्तर्गत धारा 251 ए राज.कांश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें अप्रार्थी केलाश रेगर की खातेदारी कि आराजीयात के बीच में रास्ता तरमीम कियां था परन्तु अब दोनो पक्षकारो के मध्य हुए राजीनामें के अनुसार रास्ते को उत्तर की तरफ से देने के लिए तैयार व तत्पर है तथा इस रास्ते को रेस्पोडेन्टस भी मानने व उक्त रास्ते का उपयोग करने के लिए सहमत है। उक्त हुए राजीनामें के अनुसार उक्त अपील में हुए राजीनामे के अुनसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 510/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त राजीनामें के आधार पर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते सहमति से प्रकरण को निस्तारण करने बाबत् पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों का एक सुदृढ़ वैकल्पिक साधन/तरीका (Mode) है। राजीनामा जब पक्षकारो की सहमति से होता है तो प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर नहीं कर उक्त राजीनामें के आधार पर किया जाना चाहिए। अभिभाषक उभयपक्षों के कथनोनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 510/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे पक्षकारान के मध्य हुए आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 510/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान के मध्य हुए आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 एक राज.काश्तकारी अधिनियम पर पुनः आदेश पारित करें उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 12.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुगार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (हस्ताक्षर) (राजेन्द्र सिंह शेखावत) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	(हस्ताक्षर) मंगलाराम एड. अपीलान्ट अभि. मंगला राम चौधरी एड. (हस्ताक्षर) एड. पुष्पेन्द्र सिंह रावत रेस्पोन्डेन्ट 1 से 8 की ओर से अभिभाषक जगदीश रेस्पों नम्बर 5 जगदीश S/o मुख्या राम